न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष— आशीष श्रीवास्तव,
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2007—दो/15 विरूद्ध आदेश, दिनाक 22—6—2015 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 93/अंतरण/14—15.

सुग्रीव प्रसाद पुत्र श्री जगदीश प्रसाद
जाति ब्राहम्ण निवासी महदेवन
टोला, ग्राम गुढ़, तहसील गुढ़ जिला रीवा म0 प्र0

.....आवेदक

विरूद्ध

1 अशोक कुमार पुत्र श्री यज्ञनिवास शर्मा जाति ब्राहम्ण
2 राजेश कुमार पुत्र श्री यज्ञनिवास शर्मा जाति ब्राहम्ण
3 विनोद कुमार पुत्र श्री यज्ञनिवास शर्मा जाति ब्राहम्ण
4 सुरेश कुमार पुत्र श्री यज्ञनिवास शर्मा जाति ब्राहम्ण
5 रोहित कुमार पुत्र श्री अशोक कुमार
निवासीगण महदेवन टोला, ग्राम गुढ़, वार्ड नंबर 2,
नगर परिषद गुढ़ जिला रीवां म0 प्र0 तहसील गुढ़
जिला रीवा म0 प्र0

.....अनावेदकगण

श्री एस0 के0 श्रीवास्तव अभिभाषक, आवेदक
श्री अरविन्द पाण्डे, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 28/12/15 को पारित)

यह निगरानी प्रकरण कमांक 2007—दो/15 राजस्व मण्डल के समक्ष म.प्र. भू—राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में सहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, रीवा के प्रकरण कमांक 93/अंतरण/14—15 में पारित आदेश दिनांक 22—6—2015 के विरूद्ध प्रस्तुत हुआ है ।

2./ प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है । निगराकार सुग्रीव प्रसाद के आवेदन पर गैर निगराकार अशोक के विरूद्ध तहसील गुढ़ में प्रकरण कमांक 48बी/121/14—15 तथा गैर

निगराकार अशोक के आवेदन पर तहसील न्यायालय में निगराकार सुग्रीव प्रसाद के विरूद्ध प्रकरण क्रमांक 1अ–13/14–15 प्रचलित थे । निगराकार सुग्रीव प्रसाद ने अपर आयुक्त रीवा के समक्ष इन दोनों प्रकरणों के किसी अन्य पीठासीन अधिकारी के समक्ष अन्तरण हेतु धारा 29 म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता में आवेदन प्रस्तुत किया, जिसे अपर आयुक्त ने आक्षेपित आदेश से खारिज कर दिया, जिसके विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।

3/ प्रकरण में निगरानी मेमों का गैर निगराकार अधिवक्ता द्वारा लिखित उत्तर दिया गया है । मैने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क सुने ।

निगराकार अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमों के बिन्दुओं को दोहराते हुए यह कहा गया कि तहसील में उनके पक्षकार को परेशान करने की नियत से उनका प्रकरण खारिज कर गैर निगराकार का प्रकरण लंबित रखना चाहते हैं, दोनों प्रकरणों में अलग अलग दिनांकों को पेशिंया लगाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी पेशियां लगाते है, तथा गैर निगराकार से मिले हुए हैं । अतः वह प्रकरण का अन्तरण चाहते थे, जिसे अपर आयुक्त ने नहीं मानकर गलत किया ।

गैर निगराकार अधिवक्ता ने तर्क किया कि तहसील के किसी आदेश से किसी पक्षकार का हित प्रभावित नहीं है, तथा वह कोई पक्षपात नहीं कर रहे । उन्होंने यह भी कहा कि गैर निगराकार का पुराना मकान बारिश में गिर गया था जिसका वह निर्माण कर रहा था, जिसमें निगराकार उन्हें परेशान कर रहे हैं ।

4/ मेरे द्वारा विद्वान अधिवक्ताओं के मेमोंज एवं तर्कों के प्रकाश में अभिलेखों का परिशीलन किया गया । तहसील न्यायालय के दोनों संबंधित प्रकरणों के अवलोकन से मैं यह पाता हूँ कि इन प्रकरणों में तहसील द्वारा कोई ऐसी कार्यवाही या आदेश नहीं दिया गया है जिससे ऐसा प्रतीत हो या माना जाए कि उनके द्वारा पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया जाकर निगराकार को परेशान किया जा रहा है । निगराकार सुग्रीव प्रसाद के आवेदन के अनुसार उन्होंने प्रकरण क्रमांक 48/बी–121/14–15 प्रथम पेशी में ही स्थगन भी दिया है, तथा इस प्रकरण की आदेश पत्रिका दिनांक 22–7–15 में उभयपक्ष को (न केवल एक

पक्षकार को) अपनी अपनी जमीन पर काबिज रहने के आदेश उल्लिखित हैं, और दोनों के लिए ही लिखा है कि शांति भंग करने पर दाण्डिक प्रकिया की जा सकती है । इस प्रकरण में पेशियां 31–1–15, 12–2–15, 27–2–15, 9–3–15, 13–3–15, 24–3–15, 30–3–15, 13–4–15, 16–4–15, 30–4–15, 7–7–15, 22–7–15 और 4–7–15 की लगी हैं । तहसील के दूसरे प्रकरण ए13 / 14–15 में पेशियां 21–1–15, 22–1–15, 29–1–15, 28–2–15, 13–3–15, 23–3–15, 30–3–15, 13–4–15, 16–4–15 तथा 30–4–15 की लगी हैं । इससे स्पष्ट है कि प्रत्येक प्रकरण में 13–3–15 से पूर्व की 4–5 पेशिया अलग अलग दिनांकों को तथा 13–3–15, 30–3–15, 13–4–15, 16–4–15 और 30–4–15 की 5 पेशियां कॉमन दिनांकों को लगी हैं । इस विश्लेषण से यह भी स्पष्ट होता है कि तहसील को दोनों प्रकरणों में समान पक्षकार होने का जब एहसास हुआ, तो उन्होंने कॉमन दिनांकों को पेशियां लगानी शुरू कर दीं । शांति बनी रहे और त्वरित न्याय हो, इस दृष्टिकोण से यदि उन्होंने जल्दी जल्दी पेशियां लगाई, तो इस संबंध में भी कुछ गलत किया गया होना परिलक्षित नहीं होता । वैसे भी तहसीलदार द्वारा दोनों प्रकरणों में अभी ऐसा कोई आदेश पारित किया जाना समक्ष में नहीं आया है, जिससे किसी भी पक्षकार के वैधानिक हित अनुचित तौर पर प्रभावित हुए हों या होने संभावित हुए हों ।

5 / उपरोक्त तथ्यों एवं विवेचना के प्रकाश में मैं अपर आयुक्त के इस निष्कर्ष से सहमत हूँ कि प्रकरण को अन्य पीठासीन अधिकारी के समक्ष अन्तरित करने की कोई आवश्यकता नहीं है । अतः मैं अपर आयुक्त का आक्षेपित आदेश यथावत रखता हूँ, तथा यह निगरानी खारिज करता हूँ ।

आदेश पारित ।
प्रकरण समाप्त ।
पक्षकार सूचित हो ।
अभिलेख वापस हो ।
प्रकरण दा0द0 हो ।

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश
ग्वालियर